(6)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 20/2023

1. हरप्रीत कौर पुत्री स्व० श्री कुलदीप सिंह पत्नी परविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

2. हरमीत कौर पुत्री स्व० श्री कुलदीप सिंह पत्नी अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक बैंक ऑफ पटियाला, फिरोजपुर, तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

अपीलांट

बनाम

1. जगदीप सिंह ढिल्लो पुत्र स्व० श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढिल्लो कॉलोनी, पारीक मिष्ठान भण्डार के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. सतेन्द्र कौर सिद्धू पुत्री स्व० श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढिल्लो कॉलोनी, पारीक मिष्ठान भण्डार के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 46 दिनांक 26.05.2023 एवं स्वीकृत नामान्तरण दिनांक 13.07.2023 बलविन्द्र कौर बहक जगदीप सिंह आदि, जिसके जरिये विधि विरूद्ध रूप से दस्तबरदारी चक 3 एन.डब्ल्यू.एन. तहसील हनुमानगढ़ में अपना 1/6 हिस्सा बलविन्द्र कौर द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया, को निरस्त किये जाने बाबत।

अपर जिला कलक्टर ★ हनुमानगढ़ (राज०) ★

उपस्थितः— 1. श्रीमती शकुंतला भाटीवाल अपीलांट्स अभिभाषक।
2. श्री मनजिन्द्र सिंह लेघा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —31.01.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपील रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 13. 07.2023 जो कि विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण सख्या 46 दिनांक 13.07. 2023 व प्रविष्टि दिनांक 26.05.2023 संलग्न अपील है। रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित कृषि भूमि चक 3 एन.डब्ल्यू.एन. तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 2/2 के पत्थर नंबर 120/251 (131) के किला नंबर 3 ता 8, 13 ता 15 की 1.670 हैक्टेयर एवं पत्थर नंबर 121/251 (132) किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11 की 1.101 हैक्टेयर कुल 2.771 हैक्टेयर कृषि भूमि स्व० श्री कुलदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढिल्लो कॉलोनी, श्रीगंगानगर रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार थी। कुलदीप सिंह का देहान्त होने के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान बलविन्द्र कौर, जगदीप सिंह, सतेन्द्र कौर, हरप्रीत कौर, हरमीत कौर पुत्र, पुत्रियां व पत्नी स्व० श्री कुलदीप सिंह जायज व कानूनी वारिसान थे। कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण दिनांक 19. 04.2022 को सभी वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा प्रत्येक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। बलविन्द्र कौर पत्नी स्व० कुलदीप सिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि अपना 1/6 हिस्सा का त्याग पत्र जरिये दस्तबरदारी दस्तावेज रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया और विवादित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा समाप्त कर लिया गया। बलविन्द्र कौर द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद कुल विवादित कृषि भूमि में विधिवत रूप से शेष सभी वारिसान जगदीप

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:36:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

6

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 20/2023

1. हरप्रीत कौर पुत्री स्व० श्री कुलदीप सिंह पत्नी परविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

2.हरमीत कौर पुत्री स्व० श्री कुलदीप सिंह पत्नी अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक बैंक ऑफ पटियाला, फिरोजपुर, तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

अपीलांट

बनाम

1. जगदीप सिंह ढिल्लो पुत्र स्व० श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढिल्लो कॉलोनी, पारीक मिष्ठान भण्डार के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. सतेन्द्र कौर सिद्धू पुत्री स्व० श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढिल्लो कॉलोनी, पारीक मिष्ठान भण्डार के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 46 दिनांक 26.05.2023 एवं स्वीकृत नामान्तरण दिनांक 13.07.2023 बलविन्द्र कौर बहक जगदीप सिंह आदि, जिसके जरिये विधि विरूद्ध रूप से दस्तबरदारी चक 3 एन.डब्ल्यू.एन. तहसील हनुमानगढ़ में अपना 1/6 हिस्सा बलविन्द्र कौर द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया, को निरस्त किये जाने बाबत।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

उपस्थितः— 1. श्रीमती शकुंतला भाटीवाल अपीलांट्स अभिभाषक।
2. श्री मनजिन्द्र सिंह लेघा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —31.01.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपील रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 13. 07.2023 जो कि विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण सख्या 46 दिनांक 13.07. 2023 व प्रविष्टि दिनांक 26.05.2023 संलग्न अपील है। रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित कृषि भूमि चक 3 एन.डब्ल्यू.एन. तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 2/2 के पत्थर नंबर 120/251 (131) के किला नंबर 3 ता 8, 13 ता 15 की 1.670 हैक्टेयर एवं पत्थर नंबर 121/251 (132) किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11 की 1.101 हैक्टेयर कुल 2.771 हैक्टेयर कृषि भूमि स्व० श्री कुलदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढिल्लो कॉलोनी, श्रीगंगानगर रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार थी। कुलदीप सिंह का देहान्त होने के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान बलविन्द्र कौर, जगदीप सिंह, सतेन्द्र कौर, हरप्रीत कौर, हरमीत कौर पुत्र, पुत्रिया एवं बलविन्द्र कौर पत्नी स्व० श्री कुलदीप सिंह जायज व कानूनी वारिसान थे। कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का नामान्तरण दिनांक 19. 04.2022 को सभी वारिसान के नाम से बराबर बराबर 1/6 हिस्सा प्रत्येक राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। बलविन्द्र कौर पत्नी स्व० कुलदीप सिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि अपना 1/6 हिस्सा का त्याग पत्र जरिये दस्तबरदारी दस्तावेज रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया और विवादित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा समाप्त कर लिया गया। बलविन्द्र कौर द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद कुल विवादित कृषि भूमि में विधिवत रूप से शेष सभी वारिसान जगदीप

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सिंह, कमलदीप कौर, सतेन्द्र कौर, हरप्रीत कौर व हरमीत कौर का बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा प्राप्त हुआ लेकिन रेस्पोडेंट सख्या 3 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जरिये नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 13.07.2023 के जरिये केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया जिससे विवादित कृषि भूमि में रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया और शेष का 1/6 हिस्सा प्रत्येक का दर्ज रहा। इससे अपीलाण्ट का विधिक अधिकार व हक व हिस्सा प्रभावित हुआ है। रेस्पोडेंट सख्या 1, 2 व बलविन्द्र कौर पत्नी स्व० श्री कुलदीप सिंह द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष वादपत्र जगदीप सिंह बनाम कमलदीप कौर खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था जो अभी भी विचाराधीन है जिसमें आज की दिनांक 31.08.2023 नियत है। इस वादपत्र के साथ वादीगण जगदीप सिंह वगैरा द्वारा यथास्थिति आदेश राजस्व रिकार्ड का इस आशय का प्राप्त किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में किसी भी तरह का फेरबदल ना किया जावे। स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है और इस बात का ज्ञान बलविन्द्र कौर व रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 को भली भांति था। विवादित कृषि भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट एवं अन्य वारिसान कमलदीप कौर और बलविन्द्र कौर को विरासतन स्व० श्री कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई थी। कुल कृषि भूमि 2.771 हैक्टेयर में सभी वारिसान को बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा प्राप्त हुआ था। यह नामान्तरण सख्या 43 दिनांक 20.04.2022 के जरिये स्वीकृत किया गया था। इस नामान्तरण के आधार पर स्व० श्री कुलदीप सिंह के सभी वारिसान को 1/6 हिस्सा प्रत्येक का था। विधिवत रूप से यदि कोई एक वारिस अपना हक व हिस्सा त्याग करता है तो उसको केवल मात्र अपना हक. व हिस्सा त्याग करने का अधिकार है लेकिन यह हक त्याग शेष सभी वारिसान के पक्ष में स्वतः ही अन्तरित हो जाता है। बलविन्द्र कौर पत्नी स्व० श्री कुलदीप सिंह द्वारा विवादित कृषि भूमि में अपना 1/6 हिस्सा का त्याग कर दिया गया है। उसके हक त्याग करने के बाद शेष वारिसान को उसके 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि बहिस्सा बराबर स्वतः ही प्राप्त हो गई थी। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 26.05.2023 (स्वीकृति नामान्तरण दिनांक 13.07.2023) निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 जरीये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 26.05.2023 (स्वीकृति नामान्तरण दिनांक 13.07.2023) निरस्त फरमाया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02 ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलान्ट द्वारा दस्तबदारी के आधार पर दिनांक 13.07.2023 को दर्ज किये गये नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, परन्तु दस्बदारी दिनांक 10.04.2023 जो कि पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1300 के पृष्ठ संख्या 79 के क्रम संख्या 202303087102559 व अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 के जिल्द सख्या 4293 के पृष्ठ संख्या 218–225 पर पंजीबद्ध कर इन्द्राज की गई थी जिसे माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनष्ठि खण्ड) अनवानी श्रीमती बलविन्द्र कौर बनाम श्रीमती सतिन्द्र कौर वगैरह में निर्णय दिनांक 22.09.2023 को [illegible] शून्य घोषित किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय के [illegible] उप पंजीयक महोदय हनुमानगढ़ द्वारा दस्बदारी के निरस्तीकरण का [illegible] रिकॉर्ड में पुनः उक्त आराजी बलविन्द्र कौर पत्नी स्व० श्री कुलदीप सिंह के [illegible] नामान्तरण कर दी गई अर्थात दस्बदारी दिनांक 10.04.2023 से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त परिस्थितियों के चलते प्रार्थीगण की उक्त अपील बेशुद्ध हो गई है जिसके फलस्वरूप काबिले खारिजी है तथा आगे चलते योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील को खारिज कर पत्रावली दफतर दाखिल फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(8)

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन में पाया कि–

1. पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज अनुसार माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) हनुमानगढ़ अनवान श्रीमती बलविन्द्र कौर बनाम श्रीमती सतिन्द्र कौर वगैराह प्रकरण संख्या 90/2023 निर्णय दिनांक 22.09.2023 से उप पंजीयक हनुमानगढ़ के कार्यालय की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1300 पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 202303087102559 पर पंजीबद्ध है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4293 के पृष्ठ संख्या 218 से 225 पर चस्पा किया गया है, को अवैध व शून्य घोषित कर दिया है।
2. तत्पश्चात उक्त निर्णय की अपील माननीय जिला न्यायाधीश हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 24.04.2024 से अपीलाण्ट की अपील खारिज कर माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 22.09.2023 की पुष्टि की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण एस.बी सिविल द्वितीय अपील 121/2024 निर्णय दिनांक 21.11.2024 द्वारा अपीलाण्ट की द्वितीय अपील भी खारिज की जा चुकी है।
3. निर्णय दिनांक 22.09.2023 के अनुसरण में उप पंजीयक हनुमानगढ द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 13.07.2023 निरस्त कर उक्त आराजी बलविन्द्र कौर पत्नी कुलदीप सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया है। जिससे अपील आधारहीन हो गयी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय भिजवायी जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:00 IST
Reason: SelfAttested